

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 67/2018

बउनवान

शिशुपाल आयु 45 वर्ष उर्फ सुखपाल पुत्र रतनलाल जाति मीणा निवासी रारोती,
तहसील—बारां, जिला—बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉण्डेंट)



अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री सत्येन्द्र शर्मा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉण्डेंट)

निर्णय दिनांक— 21.04.2022

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 20.02.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रारोती, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 679 रकबा 2.00 हैक्टेयर किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 1000/-रुपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट का अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।



इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉण्डेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए अपीलांट स्वयं भी अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में हमने परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।


दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलांट ने वर्णित आराजी पर संवत् 2074 में भी अतिक्रमण किया था जिसे प्रकरण संख्या 1010/17 निर्णय दिनांक 27.11.2017 से बेदखल किया गया था। इस प्रकार अपीलांट का वर्णित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। पटवारी हल्का के बयान से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 679 रकबा 2.00 हैक्टर किस्म-चारागाह ग्राम रारोती पर संवत् 2074 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नंबर 1010/17 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 250/18 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
(राज.)